न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला–जोधपुर

भागीरथ प्रजापत बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्याः 44/2026

अन्तर्गत धारा 131 तरमीम दुरस्ती भू राजस्व अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की की तामिल में जारी हुए
23-3-26	प्रार्थी भागीरथ प्रजापति निवासी खेजड़ली खूर्द तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम खेजड़ली खुर्द के खसरा सख्या 89, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6 में तरमीम मौके अनुसार सही करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लूणी को प्रार्थना पत्र की जांच बाबत् लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक भू.अ./2025/2957 दिनांक 25.09.2025 एवं 432 दिनांक 11.02.2026 के द्वारा तरमीम दुरूस्ती की रिपोर्ट की पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खेजडली खुर्द के ख.नं. 89 का आपसी सहमति से बंटवाडा आदेश का नामांकरण संख्या 466 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकन हुआ जिसका नामान्तरकरण पर नक्शा अंकित है परन्तु ऑनलाईन तरमीम नामान्तरकरण पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे अनुसार नहीं है। खसरा नम्बर 89 व 89/1 का एक आपसी सहमति बंटवाडा होने पर नामा. 518 के जरिये राजस्व रेकर्ड में अंकन हुआ जिसकी आनलाईन तरमीम नामान्तरकरण पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार ही है परन्तु मौका कब्जा नामान्तरण संख्या 466 की पुश्त के विपरीत है। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर उक्त खसरो की तरमीम अशुद्धि मौके एवं राजस्व रेकर्ड से भिन्न होने से मौके अनुरूप शुद्धि चाही है। पत्रावली का अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न भू.अ.निरीक्षक गुड़ा विश्नोईयान की रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 23.01.2026 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 के अनुसार ख.नं. 89 कुल रकबा 40–02 बीघा का आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ जिसके अनुसार ख. नं. 89 रकबा 18–02 बीघा तथा ख. नं. 89/1 रकबा 22 बीघा नामा. संख्या 466 के जरिये रेकर्ड में इन्द्राज हुयें। नामान्तकरण संख्या 466 की पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित है। तत्पश्चात् ख. नं. 89 रकबा 18.02 बीघा पुनः आपसी सहमति से बंटवाड़ा होने पर ख.नं. 89 रकबा 6.01 बीघा, ख.नं. 89/5 रकबा 6 बीघा व ख.नं. 89/6 रकबा 6 बीघा राजस्व रेकर्ड में नामा.करण संख्या 518 जरिये दर्ज हुये जिसकी पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित है परन्तु पटवारी के हस्ताक्षर किये हुये नही है। इस नजरी नक्शें में तत्कालीन पटवारी द्वारा त्रुटिवश	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

ख.नं. 89 रकबा 18.02 बीघा का हिस्सा नजरी नक्शा में गलत अंकित कर दिया जो रेकर्ड एवं मौके से विपरीत होना रिपोर्ट में अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि लट्ठा नक्शे में ख.नं 89 व 89/1 की तरमीम की गई होती तो बंटवाड़ा में नजरी नक्शा सही दर्शाया जा सकता था। नामान्तरकरण संख्या 517 व 518 अनुसार उक्त बंटवाड़ा राजस्व केम्प में किया गया जिससे लिपिकीय त्रुटिवश गलत नजरी नक्शा नामा.करण संख्या 517 व 518 की पुश्त पर अंकित होना प्रतीत हो रहा है। संलग्न मौका फर्द/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सभी प्रभावित खातेदारों ने मौके अनुरूप तरमीम सही करने के लिये सहमती दी गई। बंटवाड़ा नामान्तरकण संख्या 466 को सही माने तो पुनः बंटवाड़ा नामान्तकरण संख्या 517 व 518 दोनों गलत आधार पर भरे ज़ाकर गलत तरमीम की गई। जांच रिपोर्ट अनुशंषा सहित नहीं है लेकिन काश्तकारों की समस्या और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेजड़ली खुर्द के ख.नं. 89, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5 व 89/6 की तरमीम तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द दिनांक 24.12.2025 व 04.08.2025 अनुसार ऑनलाईन तरमीम दुरूस्ती करें। उक्त मौका फर्द इस आदेश के अभिन्न अंग समझा जावें है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

हंसमुख कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी